फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम ब्यावर

श्रीमती संतरा व अन्य बनाम श्री बाबू व अन्य

किस्म मुकदमा 212 आर0टी0ए0 नं. 48 सन् 2013

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख हुक्काम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
08-08-18	वकुला ए फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र टी. आई. पर उभयपक्षान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी के कथन कमोबेश उनके प्रार्थना पत्र अनुसार ही रहे एवं कथन किए कि वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण की खरीदशुदा आराजी है एवं प्रार्थीगण अनुसूचित जाति के व्यक्ति है एवं अप्रार्थीगण स्वर्ण जाति के व्यक्ति है जिनका उक्त वादग्रस्त आराजी से कोई लेना देना नहीं है तथा कथन किये कि प्रार्थीगण के पक्ष में व अप्रार्थी संख्या 1 से 3 को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से तातस्फीया वाद पाबंद किया जाकर उन्हें निषेध करे कि वे स्वयं व उनके परिवारजन हाल एजेण्ट आदि वादग्रस्त कृषि भूमि अथवा उसके किसी भी हक हिस्से पर जबरन कब्जा न करे व न ही करावे व न ही वादग्रस्त आराजी से वादीगण को बेदखल करे व न ही उनके शान्तिमय कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करे व न ही वादग्रत आराजी अथवा उसके किसी भी हक हिस्से में अवैध निर्माणात करे व न ही करावे। अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि उक्त वादग्रस्त भूमियां अप्रार्थीगण ने जरिए कत्तई बेचान का इकरार के आधार पर खरीद किया है एवं काबिज काश्त हैं एवं प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मिथ्या बेबुनियाद अभिकथनो पर उत्तरकर्ता अप्रार्थी को व्यर्थ ही तंग परेशान करने की मंशा से प्रेरित होकर किया गया है अतः प्रार्थना पत्र खारिज़ किया जावे। बहस के परिप्रेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया कि ग्राम सिरोला पटवार हल्का फतेहपुरिया दोयम की जमाबन्दी संवत् 2068–71 के खाता संख्या 75 में वादग्रस्त आराजियात में वादीगण खातेदार दर्ज हैं तथा अप्रार्थीगण के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत कत्तई बेचान का करार पत्र दिनांक 31.05.1985 प्रस्तुत किया है जिसमें पूर्व में रहे मूल खातेदारान से अप्रार्थीगण द्वारा क्रय किये जाने के कथन किए हैं। उक्त समस्त दस्तावेजी साक्ष्य एवं विवेचन के आधार पर संदेह की स्थिति बरकरार है। अलावा इसके उभयपक्षान पक्षकारान ने वादग्रस्त भूमियों पर अपना अपना कब्जा होना भी जाहिर किया है। उक्त स्थिति अनुसार एवं राजस्व रेकार्ड तथा बहस के कथनों के आधार पर मामला गुणावगुण आधार पर मैरिट पर तय किया जाना है जिसका विवेचन वाद पत्र में किया जावेगा। परन्तु वर्तमान परिपेक्ष्य में दोनों पक्ष अपना अपना हक व अधिकार प्रार्थना पत्र व जवाब प्रार्थना पत्र में कथित तथ्यों अनुसार स्पष्टतया साबित करने में कासिर रहे हैं । ऐसी स्थिति में आदेश दिनांक 26–06–2013 को अपास्त किया जाकर जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा उभयपक्षान को ताफैसला वाद तक वादग्रस्त आराजियात की मौके एवं रेकार्ड की स्थिति यथावत रखे जाने एवं अन्यत्र बेचान व अन्तरित नहीं किये जाने के आदेश पारित किये जाते हैं। आदेश आज दिनांक 08–08–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया । मिसल फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो	

उपखण्ड अधि[illegible] ... कलक्[illegible]